



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122025-268429
CG-DL-E-11122025-268429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5547]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2025/अग्रहायण 20, 1947

No. 5547]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2025/AGRAHAYANA 20, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5735(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 2के खंड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, की अधिसूचना का.आ. 986 दिनांक 28 मई 2024 के द्वारा सुश्री रिंकी जायसवाल, अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बीना-पनकी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के पद के दिए गए प्राधिकार के अधिपत्य का अधिक्रांत करते हुये, भारत सरकार नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

अनुसूची	
प्राधिकारी का नाम और पदनाम (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), ज़िला- कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश), सक्षम प्राधिकारी, बीना-पनकी पाइपलाइन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	उत्तर प्रदेश राज्य

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(15)/3/2019-ओआर-1/ई-29921]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2025

S.O. 5735(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in supersession of authorization given to Ms Rinki Jaiswal, Additional District Magistrate (Land Acquisition) Kanpur Uttar Pradesh as a Competent Authority for Bina-Panki Pipeline of BPCL for Uttar Pradesh region through Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India vide. S.O. 986 dated 28th May 2024, the Government of India hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the “Competent Authority” under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

SCHEDULE	
Name & Designation of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Upper Collector (Land Acquisition), District Kanpur Nagar, (Uttar Pradesh) Competent Authority, Bina-Panki Pipeline, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL),	State of Uttar Pradesh

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025(15)/3/2019-OR-1/E-29921]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.